# न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 16 / 2019
जी.पी.एस.न. 2019 / 00030
प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 सी.पी.सी.
निर्णय दिनांक 03.03.2021

मुकदमा :– योगिता बनाम रवि वगैरा

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 जा0दी0 निर्णय दिनांक 03.03.2021**

प्रार्थी / प्रतिवादी की आरे से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 जा0दी0 के तहत पेश किया है कि उपरोक्त उनमानी दावे में वादी जरिये बली सरपरस्त नाना जगन्नाथ को नावलिग वली सरपरस्त बनाया गया है। जबकि नावलिग के माता पिता जीवित है। नावलिग के माता पिता को तथ्य छुपाते हुए नावलिग के हित के विपरीत उक्त वाद पत्र अपने निजी हित व प्रतिवादी पर नाजायज दबाव बनाने के लिए उक्त वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त वाद में नावलिग सरपरस्त नाना जगन्नाथ को विधि विरूद्ध बनाया है। ऐसी परिस्थिति में उक्तवाद वादी इसी स्तर पर निरस्त फरमाया जावे।

वकीलवादी / अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रार्थना प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 जिस प्रकार वर्णित किया गया है। वह स्वीकार नही है। वादिनी के माता पिता जीवित हैं लेकिन उनका पिता का हित नाबलिग के विरूद्ध है। प्रतिवादी स. 1 रवि एक शरीबी व अययाशी किस्म का व्यक्ति है। जो अपनी व्यसनों की पूर्ति के लिए उक्त पैत्रिक सम्पत्ति को हरनवय करने की फिराक में है। जबकि उक्त आराजीयात हिन्दू सयुक्त परिवार की पैत्रिक सम्पत्ति की आराजीयात है। जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम गलत इन्द्राजात चले आ रहे है। इलिए प्रतिवादी सं. 1 रवि गलत इन्द्राजात का फायदा उठाकर उक्त आराजीयात को दीगर सक्स को रहन वय मुन्तकिल करने पर आमादा है। इसलिए दावा न्यायालय श्रीमान में पेश किया गया है। माता को जरिये बलीसरपरस्त इसलिए नही बनाया गया क्योकि माता जन्म से ही गूँगी व बहरी है। जो कि निश्क्त जनो की श्रेणी में आती है। इसलिए वह विधिनुसार दावा पेश करने में अक्षम है। क्योकि वह न तो गवाह कर सकती तथा न ही कोई जबाब दे सकती है। ना ही सुन सकती है। इस स्थिति में नाबलिग के हित की रक्षा के लिए वादनी के नाना जिसका का हित नाबलिग के विरूद्ध नही है। उसको पक्षकार मुकदमा बनया गया है। शेष उजरात मजीद में दर्ज है। यह कि विधिनुसार भी कानूनी नजीरों में यह कहा गया कि दावा को तनकीयात कायम कर दोनो पक्षों की शहादत लेकर गुणागुण पर ही मैरिट पर तय किया जाना चाहिए इसलिए यह प्रश्न कि बलीसरपरस्त नाना क्यो बनाया है यह [illegible] कायम करने के बाद दोनो पक्षो की शहादत लेकर मैरिट पर तय किया जा[illegible] कि [illegible] को [illegible]म से ही गूंगा / बहरा / निशक्त होने के कारणएवं पितार का हित नाबलिग [illegible] बलीसरपरस्त बनाया गया है। यह कि उक्त स्थिति में उक्त दावा विधिनुसार [illegible] गया है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 काबिल खारिजी के है। यह कि प्रतिवाद[illegible] 1 अपने नाम गलत [illegible]जात का फायदा उठाकर अपने व्यसनों की पूर्ति के लिए तथा वादिनी की माता कानिशक्त न होने[illegible] फायदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:27:35 IST
Reason: SelfAttested



सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

उठाकर नाबलिग के हित को समाप्त करना चाहता है। इसलिए नाबलिग के हित की रक्षा किया जाना न्यायचित है। तथा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 को केवल प्रकरण को लम्बाकर नाबलिग को परेशान करने व दावा को मैरिट पर नही होने की साजिश के तहत बदयांति पूर्वक पेश किया गया है। अतः प्रार्थना है कि जबाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा. दी दृ स्वीकार किया जाकर आदेश 7 नियम 11 व 151 जा.दी. के तहत प्रार्थना पत्र को मय हर्जा खास 11000/– रूपया खारिज फरमाया जावे। शपथ पत्र पेश है।

बहस प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा.दी. के तहत उभयपक्षकारन् की विद्ववान वकीलों की बहस सुनी गई प्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया वादीगण द्वारा जा़ू दावा पेश किया गया है कि जिसमें वादी जरिये नाबालिग के माता पिता जीवित है तथा वादीगण के बलिसरपरस्त जरिये नाना को बनाया गया है। जबकि माता पिता जीवित वादीगण द्वारा इस तथ्यो को छुपाकर नावलिग के माता पिता को तथ्य छुपाते हुए नावलिग के हित के विपरीत उक्त वाद पत्र अपने निजी हित व प्रतिवादी पर नाजायज दबाव बनाने के लिए उक्त वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त वाद में नावलिग सरपरस्त नाना जगन्नाथ को विधि विरूद्ध बनाया है। जबकि प्रार्थी के माता पिता अभी जीवित है। नाना को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है जो कि गलत है, न्यायालय द्वारा दावा पेश करते समय वादीगण के बलिसरपरस्त नाना बनाया गया इनके हितो कि रक्षा के लिए दावा पेश वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 32 नियम 6 के तहत पेश कर न्यायालय से दावा पेश करने कि अनुमति लेनी चाहिए जो वादीगण द्वारा नही ली गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्कीकार किया जाकर दावा मय प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. खारिजा किया जावें।

अप्रार्थी/वादीगण वकील द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि वादीगण नाबलिग है। उनके माता पिता गूँगी व बहरी है। इनके बाबत् मेरे द्वारा कार्यालय मुख्यालय चिकित्सा अधिकारी आगरा का विकलांग प्रमाण पत्र पेश किया गया हैं इस प्रकार वादीगण की माता पिता निःशक्तजन की श्रेणी में आती हैं इसलिए माता को नाबलिग की बलीसरपरस्त नही बनाया गया है। तथा पिता से वादीगण का दावा चल रहा है। इसलिए उसके हित नाबलिग के विरूद्ध है। इसलिए उसे भी बलीसरपरस्त नही बनाया जा सकता है। तथा पिता के विरूद्ध दावा पेश करते समय ही उसके माता पिता यानि वादीगण के दादा दादी भी नाबलिग के विरूद्ध है। अतः हित विरोधी होने के कारण उन्हे भी बलीसरपरस्त नही जा सकता है। इसलिए नाबलिग के हितों की रक्षा के लिए बलीसरपरस्त आवश्यक है। कि वह वादीगणों के हितों की रक्षा कर सकें। चूंकि माता गूँगी व बहरी व निशक्तजन है। तथा पिता व दादा दादी का भी हित नाबलिग के विरूद्ध है। तो नाबलिग के हितों की रक्षा के लिए वादी के नाना को पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर दावा पेश किया गया है। जिसे कोर्ट द्वारा स्वीकार कर दावा को दर्ज कर लिया गया है। तथा स्थगन आदेश भी जारी किया गया है। तथा पत्रावली ट्राईल विचारधीन है। इसलिए माना जावेगा कि हितों की रक्षा के लिए नाना को बलीसरपरस्त उचित मानकर परमीशन दी है। तथा न्याय की नजरों में भी ये स्पष्ट है कि प्रकरण में क्रमीलर [illegible] पर खारिज नही करना चाहिए । बल्कि दोनों पक्षों के शहादत लेकर मैरिट पर निर्णय पारित करना चाहिए। इ[illegible] नजीर आर.आर.टी. 2015(2) पेज 1268, आर.आर.टी. 2010 (2) पेज 1146, [illegible] (2) [illegible] 1141, आर.आर.डी.2011 पेज 677, आर.आर.टी. 2010 (2) पेज 1151, आर.आर.टी. 2015 (2) [illegible] (2) पेज 1146, आर.आर.डी 2011 (2) पेज 491, आर.आर.टी. 2010 (2) पेज 1337, आर.आर.टी. 2010 (2) पेज 1325 पेश है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:27:35 IST
Reason: SelfAttested

हमने दोनों विद्वान वकीलों की बहस को सुना बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. के तहत वादीगण योगिता पुत्री रवि नाबालिग जरिये बली सरपरस्त नाना जगन्नाथ सिंह पुत्र वासुदेवसिंह जाति जाट निवासी ग्राम लालउ तहसील आगरा सदर जिला आगरा को बनाकर पेश किया गया है। वादीगण/अप्रार्थी वकील द्वारा कार्यालय मुख्यालय चिकित्सा अधिकारी आगरा का विकलांग प्रमाण पत्र पेश किया गया हैं ना कि निःशक्तजन का प्रमण पत्र तथा उक्त प्रमाण पत्र पर यह भी अंकति है कि यह प्रमाण पत्र केवल शैक्षिणिक प्रयोजनार्थ के लिए है। इस प्रकार वादीगण की माता पिता विकलांग की श्रेणी में आती हैं इस प्रकार नाबलिग वादीगण की ओर से बलीसरपरस्त नाना के जरिये पेश किया गया है। कानून अनुसार यदि वादी नाबालिक है उसकी तरफ से वाद लाने का अधिकार उसके माता पिता को है यदि जीवित नही है तो नाबालिक कि तरफ से दावा लाने का अधिकार उस स्थिति में न्यायालय द्वारा उसे अनुमति प्रदान करती है। परन्तु दावा वादी गण द्वारा पेश करते समय आर्डर 32 नियम 4 के तहत् न्यायालय द्वारा परमीशन नही ली गई है। इसलिए बिना परमीशन नाना को बलीसरपरस्त नही मान सकते है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा. दी स्वीकार किया दावा वादीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हेमराज गुर्जर)
सहायक कलक्टर
नदबई (भरतपुर)
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Web Copy Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:27:35 IST
Reason: SelfAttested